पंजाब नैशनल बैंक
......भरोसे का प्रतीक

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेन्टर–गामा–I, ग्रेटर नोएडा–201308.

शुद्धि पत्र

दिनांक **31.03.2026** को इस समाचार पत्र **फाइनेंशियल एक्सप्रेस (पृष्ठ 14)** और **जनसत्ता (पृष्ठ 19)** में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस में **कर्जदार मैसर्स मालविका एंटरप्राइजेज की सम्पत्ति क्र.सं. 1** के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्ति अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस संपत्ति को बैंक ने **26.05.2026** को होने वाली ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है शेश अन्य खाते/विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैंक ऑफ इंडिया — खरखौदा शाखा, जिला सोनीपत

परिशिष्ट–IV
खनियम–8(1) देखें, कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी, **बैंक ऑफ इंडिया, खरखोदा शाखा** के अधिकृत अधिकारी के रूप में, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **07.02.2026** को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसके माध्यम से उधारकर्ता **श्री नीरज जेटली एवं श्री भरत भूषण** को उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि, अर्थात **₹ 819523.14 (शब्दों में: आठ लाख उन्नीस हजार पांच सौ तेईस रुपये और चौदह पैसे)** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने हेतु कहा गया था।
उधारकर्ताओं द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक **15 अप्रैल 2026 को कब्जा ले लिया है।**
विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ इंडिया** के **₹ 819523.14** एवं उस पर देय ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय का उल्लेख है।

अचल संपत्ति का विवरण

वार्ड नंबर 12, खरखोदा, माता मंदिर के पास और मस्जिद के पीछे स्थित, श्री भरत भूषण पुत्र रघुबीर दास के नाम पर, कुल भूखंड क्षेत्रफल– 71.00 वर्ग गज, जिला सोनीपत, हरियाणा।
चौहदि :
उत्तर दिशा में – हरीश डांग का घर, **दक्षिण दिशा में –** अन्य का घर
पूर्व दिशा में – काशी का घर, **पश्चिम दिशा में –** गली और पार्वती शर्मा का घर

दिनांक : 15.04.2026, स्थान : खरखोदा **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

प्ररूप संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र निदेशालय II, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,
और
टेट्राहेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74999HR2015PTC054499), जिसका पंजीकृत कार्यालय **भूतल, टावर बी, ओकस टेक्नोपोलिस, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 5, 4, गुरुग्राम, हरियाणा-122002** में स्थित है, के मामले में।
......याचिकाकर्ता/आवेदक

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें **17 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित कर सके।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां **उत्तरी क्षेत्र निदेशालय।** के **क्षेत्रीय निदेशक,** को **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों** के भीतर भेज सकता है। साथ ही, इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर उसके नीचे दिए गए के पते पर भी भेजें। पता: **भूतल, टावर बी, ओकस टेक्नोपोलिस, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 5, 4, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122002**

आवेदक की ओर से
टेट्राहेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
आलोक कुमार साहु
निदेशक
डीआईएन: 07033334
दिनांक : 21.04.2026
स्थान : गुड़गांव

ORIENT BELL LIMITED

CIN: L14101UP1977PLC021546
पंजी.कार्यालय:– 8, औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद – 203205, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
कॉर्पो. कार्यालय:– आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली – 110046
फोन:– +91-11-47119100, ईमेल आईडी: investor@orientbell.com,
वेबसाइट: www.orientbell.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के परिपत्र सं. HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विंडो उन भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटेरियलाइजेशन ("डीमैट") की सुविधा के लिए स्थापित की गई है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची या खरीदी गई थीं। इसमें वे हस्तांतरण अनुरोध भी शामिल हैं जिन्हें पहले अधूरा दस्तावेजीकरण, प्रक्रिया संबंधी कमियों या अन्य कारणों से जमा किया गया था लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस अवधि के भीतर, किसी भी हस्तांतरित प्रतिभूति को अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही प्राप्तकर्ता के खाते में जमा किया जाना चाहिए और यह हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की 'लॉक-इन' अवधि के अधीन होगा। कृपया ध्यान दें कि लॉक-इन अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों को हस्तांतरित, ग्रहणाधिकार–चिह्नित या गिरवी नहीं रखा जा सकता है, और ऐसे हस्तांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए, कृपया ऊपर उल्लिखित सेबी परिपत्र देखें।
अनुरोध प्रस्तुत करने या इस प्रावधान का लाभ उठाने के इच्छुक निवेशकों को आवश्यक दस्तावेज ओरिएंट बेल लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को 179–180, 3री मंजिल, डीएसआईडीसी शेड्स, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोन नं. +91–11–41406149 और ईमेल: admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी को ईमेल आईडी investor@orientbell.com पर भेजने चाहिए।

ओरिएंट बेल लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
योगेश मेंदिरत्ता
कंपनी सचिव एवं विधिक प्रमुख
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 अप्रैल, 2026

orientbell tiles

प्ररूप संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बैंच, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (6) के खंड (ए) के मामले में,
और
मेसर्स हाइबेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **ऊपरी भूतल, पीछे की ओर, 14 और 15, ब्लॉक टी एक्सटेंशन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली- 110059** में स्थित है, के मामले में।
......याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि उपरोक्त याचिकाकर्ता कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बेंच, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें **गुरुवार, 9 अप्रैल, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड II (स्थिति खंड) में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित कर सके।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बेंच, नई दिल्ली को **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों** के भीतर भेज सकता है। साथ ही, इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, के उपरोक्त पते पर भी भेजें।
मेसर्स हाइबेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
चेर सेंग रॉबिन च्यू
निदेशक

सार्वजनिक सूचना

[दिवालिया और दिवालियापन अधिनियम के नियम 9(1) के अंतर्गत (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालियापन प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णय प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019]

श्री विष्णु मित्तल के लेनदारों के ध्यानार्थ - कॉर्पोरेट देनदार एक्सॉल्टा फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, न्यायालय–II ने व्यक्तिगत गारंटर श्री विष्णु मित्तल, जो फ्लैट संख्या 7140, सेक्टर डी, पॉकेट–7, वसंत कुंज, नई दिल्ली –110070 और साथ ही 136, दीपक विहार, नया बाजार, नजफगढ़, दिल्ली–110043 के निवासी हैं, के विरुद्ध दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 16.03.2026 को दिया है, साथ ही दिनांक 08.04.2026 के संशोधन आदेश और माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पोर्टल पर क्रमश: 20.03.2026 और 17.04.2026 को अपलोड किए गए आदेशों को भी ध्यान में रखते हुए। श्री विष्णु मित्तल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे 28.04.2026 को या उससे पहले दिवालियापन न्यासी के कार्यालय: ए–166, दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 में या vivekparti.insolvencyoffice@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।
लेनदारों द्वारा दावे प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 28.04.2026** है। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हाथ से, या पंजीकृत डाक से, स्पीड पोस्ट द्वारा या कूरियर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दिवालियापन न्यासी का अतिरिक्त विवरण -
नाम: श्री विवेक पार्टी
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376
पता: ए–166, दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024, **फोन नंबर:** +91 9810015003
ईमेल पता: v_parti@yahoo.com; vivekparti.insolvencyoffice@gmail.com
नोट: झूठे या भ्रामक दावों को सबूत सहित प्रस्तुत करने पर दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर/-
विवेक पार्टी
श्री विष्णु मित्तल, के मामले में
दिवालियापन ट्रस्टी
दिनांक : 21.04.2026
स्थान : नई दिल्ली आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-18/11376

"प्ररूप संख्या आई एन सी–26"

स्फिंक्स वर्ल्डबिज लिमिटेड
CIN: U74899DL1996PLC075839
पंजीकृत कार्यालय: जी–7, 20, हरि सदन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002
ईमेल आईडी: nssurana@sphinxworldbiz.com
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-। के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनियां (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(A) के अंतर्गत
तथा
स्फिंक्स वर्ल्डबिज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी–7, 20, हरि सदन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, दिल्ली – 110002 पर स्थित है।
आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

सार्वजनिक सूचना

सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि **स्फिंक्स वर्ल्डबिज लिमिटेड** (कंपनी) केंद्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–I कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से, कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), कंपनियां (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है। यह आवेदन कंपनी के ज्ञापन–पत्र (Memorandum of Association) के क्लॉज–II में संशोधन की पुष्टि / स्वीकृति हेतु किया जाएगा, जिसके अनुसार कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। यह विशेष प्रस्ताव कंपनी की दिनांक 15 अप्रैल 2026 बुधवार, को आयोजित असाधारण सामान्य सभा (Extra Ordinary General Meeting) में पारित किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति के हित इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर, MCA-21 पोर्टल (mca.gov.in) पर Investor Complaint Form दाखिल करके अथवा शपथ–पत्र सहित अपनी आपत्ति, जिसमें हित की प्रकृति तथा विरोध के आधार स्पष्ट रूप से वर्णित हों, क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–I कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 (ईमेल: rd.north@mca.gov.in) को भेज सकते हैं। आपत्ति की एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर नीचे दिए गए निम्नलिखित पते पर भी भेजी जाए।
जी–7, 20, हरि सदन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002

स्फिंक्स वर्ल्डबिज लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षरित/–
नरेंद्र सिंह सुराना
प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष
DIN: 01470765
दिनांक: 15.04.2026
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून

प्रपत्र सं.
(विनियम 33(2) देखें)

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून
पारस टावर, दूसरी मंजिल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 के अंतर्गत एक उद्घोषणा के निस्तारण की सूचना
आरसी 73/2021
17–04–2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेशन बैंक)
विरुद्ध
मैसर्स शांतम हैंडिक्रॉफ्ट्स और अन्य

प्रति
सीडी संख्या 1 मैसर्स शांतम हैंडिक्राफ्ट, अपने साझेदार शांतम गोयल और कैस आलम के माध्यम से, मकान संख्या 9, लाजपत नगर, वर्धन नर्सिंग होम के सामने, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 2 : शांतम गोयल, पार्टनर, मैसर्स शांतम हैंडिक्राफ्ट, मकान संख्या 9, लाजपत नगर, वर्धन नर्सिंग होम के सामने, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 3 : मोह. कैस आलम, पार्टनर, मैसर्स शांतम हैंडिक्राफ्ट, मकान संख्या 9, लाजपत नगर, वर्धन नर्सिंग होम के सामने, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 4 : श्रीमती अनुराधा गोयल, मकान संख्या 9, लाजपत नगर, वर्धन नर्सिंग होम के सामने, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 5 : जफर आदिल (अब दिवंगत), उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से प्रतिनिधित्व :
सीडी संख्या 5/1 : रेकैया जफर पत्नी लेट जफर आदिल, मकान संख्या 91, एफ–11, मोहल्ला मुगलपुरा अव्वल, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश।
सीडी संख्या 5/2 : उबेर आदिल पुत्र लेट जफर आदिल, मकान संख्या 91, एफ–11, मोहल्ला मुगलपुरा अव्वल, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 5/3 : जुबेर आदिल पुत्र जफर आदिल, मकान संख्या 91, एफ–11, मोहल्ला मुगल पुरा अव्वल, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 5/4 : आलिया पुत्री लेट जफर आदिल, मकान संख्या 91, एफ–11, मोहल्ला मुगल पुरा अव्वल, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
सीडी संख्या 5/5 : मोबिनिसा पुत्री लेट जफर आदिल, मकान संख्या 91, एफ–11, मोहल्ला मुगलपुरा अव्वल, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश
जबकि आपको देहरादून के ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18/02/2021 को ओए/427/2019 में जारी वसूली प्रमाणपत्र के माध्यम से आवेदक बैंक/वित्तीय संस्थान (आवेदक का नाम) को 2,84,90,026.66 रुपये (दो करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार छब्बीस रुपये और छियासठ पैसे मात्र) की राशि, मुकदमे के दौरान और भविष्य में 9.00% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित, 25/11/2019 से वसूली तक, तथा 2,45,464 रुपये (दो लाख पैंतालीस हजार चार सौ चौंसठ रुपये मात्र) के खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
2. आपको सूचित किया जाता है कि विक्रय की उद्घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 19.06.2026 को सुबह 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों या उसके किसी भाग से संबंधित किसी भी ऋणभार, प्रभार, दावे या देनदारियों को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं।

संपत्ति का विवरण

मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में स्थित खाता संख्या 245 की 0.104 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 59 का आधा भाग (0.33 हेक्टेयर) और खसरा संख्या 68 (खाता संख्या 288) का आधा भाग (माप 0.056 हेक्टेयर) की वह समस्त खुली भूमि, जो शांतम गोयल के नाम पर है, जिसकी सीमाएँ और किनारे निम्नलिखित प्रकार से लगे हुए हैं :– पूर्व : अन्य की भूमि, पश्चिम : अन्य की भूमि, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : रास्ता चक और फिर एन.एच. 24
मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत दिनांक : 17/04/2026 को निर्गत।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
गोल्डन विलो लाउंज एंड बार प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U56301DL2023PTC417238)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **फ्लैट नं–8, सीजीएचएस, वैशाली अपार्टमेंट, डी.के मोहन गार्डन, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **15 अप्रैल, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
फ्लैट नं–8, सीजीएचएस, वैशाली अपार्टमेंट, डी.के मोहन गार्डन, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
गोल्डन विलो लाउंज एंड बार प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
तुषार गुलाटी (निदेशक)
डीआईएन: 07109021
दिनांक : 21.04.2026
स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
देवग्रीन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U68100DL2014PTC269405)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **15ए/13, अपर ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, भारत, 110008** में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **23 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
15ए/13, अपर ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, भारत, 110008

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
देवग्रीन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
कुलदीप जैन (निदेशक)
डीआईएन : 00458156
दिनांक : 20.04.2026
स्थान: नई दिल्ली

ऐक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्री गनेश मंडल (ऋणी) पुत्र श्री राम नारायन भगत **पता: 1.** निकट लेबर कॉलोनी प्रकाश विहार कॉलोनी, सहारनपुर, उ0प्र0–274001, **पता: 2.** वर्मा जी टोला, ग्राम बरेटा निकट सरकारी स्कूल कठीहार बिहार–854103, श्रीमती उषा देवी (सह–आवेदक) पत्नी श्री गनेश मंडल **पता: 2.** निकट लेबर कॉलोनी प्रकाश विहार कॉलोनी, सहारनपुर, उ0प्र0–274001, **पता: 2.** वर्मा जी टोला, ग्राम बरेटा निकट सरकारी स्कूल कठीहार बिहार–854103, **पता: 3.** मकान म्यूनिसिपल नं0 एनवी/51ए, प्लॉट नं0 81 के भाग पर निर्मित खसरा नं0 155 से संबंधित स्थित गवलिरा दर आबादी ननद वाटिका कॉलोनी, सहारनपुर, उ0प्र0–247001	भूमि/सम्पत्ति मकान म्यूनिसिपल नं0 एनवी/51ए, प्लॉट नं0 81 के भाग पर निर्मित खसरा नं0 155 से संबंधित स्थित गवलिरा दर आबादी ननद वाटिका कॉलोनी, सहारनपुर, उ0प्र0–247001, एरिया: 58.52 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती उषा देवी के नाम। **चौहद्दी:** पूर्व– प्लॉट नं0 81, पश्चिम– प्लॉट नं0 89, उत्तर– प्लॉट नं0 80, दक्षिण– रास्ता 20 फीट चौड़ा।	रू0 17,98,911.00 दि. 11.02.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें 11.02.2026 18.04.2026

दिनांक: 21.04.2026 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

इंडियन ओवरसीज बैंक

नई दिल्ली – रूप नगर शाखा
(पता – 2/7, रूप नगर, नई दिल्ली सिविल लाईन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
फोन: 8925950349 और ई–मेल: iob0349@iob.in

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित

1. चूंकि अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी हैं और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों (जिन्हें आगे "उक्त उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चुकाने के लिए कहा गया है।
2. उक्त नोटिस डाक अधिकारियों द्वारा बिना वितरित किए वापस कर दिए गए है / उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। *इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मांग नोटिस का प्रकाशन कर रहा है। अतः, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर में इन नोटिसों को चिपकाया है। उक्त नोटिस की प्रतियां नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों यदि चाहें तो किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान नीचे हस्ताक्षरकर्ता से उक्त प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध, एक बार फिर उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर इंडियन ओवरसीज बैंक को ऋण और अन्य दस्तावेजों के तहत नीचे दी गई/देय राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, संबंधित पक्षों द्वारा निम्नलिखित परिसंपत्तियों को इंडियन ओवरसीज बैंक के पास नीचे दिए अनुसार गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों का नाम एवं पता	कुल बकाया*	सुरक्षित आस्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि
1	आसिफ सिद्दीकी उर्फ आसिफ सिद्दीकी (ऋणी और बंधककर्ता) पुत्र शाहबुद्दीन सिद्दीकी स्थायी पता: बी–2/जी 1 दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली, 110095 संपर्क पता: बी–2/जी 1 दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली, 110095	रु. **27,06,052.60**	निर्मित फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर बी2/जी1 भूतल, केवल छत के स्तर तक (सीलिंग लेवल तक), बिना छत के अधिकारों के क्षेत्रफल 77 वर्ग गज यानी 64.37 वर्ग मी. M.I.G. श्रेणी के अंतर्गत, प्लॉट नंबर बी–2 पर निर्मित, खसरा नंबर 1076/5/2/258 में से, दिलशाद कॉलोनी, गाँव–झिलमिल ताहिरपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110095 सीमाएँ: पूर्व: 30 फुट चौड़ी सड़क पश्चिम: उक्त संपत्ति का भाग उत्तर: उक्त संपत्ति का भाग दक्षिण: संपत्ति नंबर बी–3	**08.04.2026**
2	राशिद सिद्दीकी (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) पुत्र शाहबुद्दीन सिद्दीकी स्थायी पता: बी–2/जी 1 दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली, 110095 संपर्क पता: बी–2/जी 1 दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली, 110095			

*उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों/शेषों पर अतिरिक्त ब्याज के साथ देय होगा।
4. यदि उक्त उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर उपर्युक्त अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो इंडियन ओवरसीज बैंक उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम और नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत पूरी तरह से उक्त उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर के जोखिम, लागत और परिणामों पर कार्यवाही करेगा।
5. इसके अलावा, उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उनके पास उपलब्ध समय के संबंध में है।
6. उक्त उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा भारतीय ओवरसीज बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना हो। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम की धारा 29 के तहत दिए गए कारावास और/या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 08.04.2026
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

pnb Housing Finance Limited — परिशिष्ट-IV-ए - अचल संपत्ति/यों की ई-नीलामी - सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालय :- 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001, फोन :-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
शाखा पता : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
शाखा पता : द्वितीय तल, कार्यालय सं. 215, कृष्णा पार्क प्लाजा, अल्फा–2, ग्रेटर नोएडा–201310, उत्तर प्रदेश

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है), नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, "जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो है और वहां जो कुछ भी हैं आधार" पर बेची जाएंगी।
एतद्वारा कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदारों/बंधकदाता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), व्यवस्थापक (कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या–ए में निर्दिशतानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 अद्यतन संशोधित के नियम–8(6) व 9 के तहत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल), प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.pnbhousing.com में दिया गया लिंक देखें।

ऋण सं, कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/कानूनी वारिसों का नाम (ए)	मांग की गई राशि एवं तिथि (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	बंधक सम्पत्तियों का वर्णन (डी)	सुरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि दर (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
एचओयू/डीएल/0322/966148 रीतेश कुमार/श्रीमती श्वेता मिश्रा बी.ओ. :– दिल्ली	रु. 32,54,621.46 और 08–10–2025	भौतिक	फ्लैट नंबर 102, भू तल, (एमआईजी) प्लॉट नंबर ई 119, ब्लॉक–ई, सेक्टर 8, बृज विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005	रू. 36,47,000	रू. 3,64,700	21–05–2026	रू. 10,000	12–05–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–05–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं
एचओयू/आरआरजीएन/0325/5165163 अश्वनी शर्मा/शीला देवी बी.ओ. :– रोशनी ग्रेटर नोएडा	रु. 44,17,095 और 10–10–2025	भौतिक	फ्लैट नंबर यूजीएफ 12, ऊपरी भू तल, टावर बी ऑर्गेनिक होम्स, खसरा नंबर 5033, ग्राम मकनपुर, इंदिरापुरम, उत्तर प्रदेश	रू. 42,72,000	रू. 4,27,200	21–05–2026	रू. 10,000	12–05–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–05–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं

***आगे ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार आदि के साथ। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या–के में प्रकटीकृत विषय–सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें।**
(1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा स्थिति कॉलम सं–'के' में वर्णित है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पार्टियां, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं–'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, विधिक रूप में उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25% (धरोहर राशि सहित, यदि कोई, जमा की गई हो) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75: बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह के जमा के डिफॉल्ट होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री पुष्टि पत्र में वर्णित **15 दिन की अनिवार्य अवधि के समाप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर बिक्री प्रतिफल का अंश भुगतान जब्त कर लिया जाएगा तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का पुनर्विक्रय सरफासी ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर दिया जायेगा। (4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में वेबसाइट –** www.bankeauctions.com **के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा बिक्री संचालित करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री सतीश चंदर/मुनेन्द्र कुमार, टोल फ्री नंबर : 1800 120 8800, ई–मेल : auction@pubhousing.com, पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति के साथ समन्वयन करना होगा अथवा www.pnbhousing.com का संदर्भ ग्रहण करें।**
स्थान : दिल्ली, रोशनी ग्रेटर नोएडा, दिनांक : 20–04–2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (पंजाब नैशनल बैंक की सहायक कंपनी)
(CIN: L74899DL1996PLC077120)
पंजीकृत कार्यालय: 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
वेबसाइट: www.pnbgilts.com, ईमेल: pnbgilts@pnbgilts.com,
फोन: 011–23325759, 23325779, फैक्स: 011–23325751, 23325763

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वार्षिकी के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार
(₹ लाख में)

	विवरण	3 माह समाप्त 31.03.2026 (अंकेक्षित)	3 माह समाप्त 31.12.2025 (समीक्षित)	3 माह समाप्त 31.03.2025 (अंकेक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2026 (अंकेक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2025 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	42,410.97	42,467.00	41,877.18	1,69,876.16	1,67,598.37
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(घाटा) (कर, आपवादिक मदों से पूर्व)	1,392.67	6,674.29	9,901.48	23,983.90	30,875.51
3.	अवधि का कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(घाटा) (आपवादिक मदों के उपरान्त)	1,416.22	6,766.52	9,918.62	24,159.74	31,095.46
4.	अवधि का कर के उपरान्त शुद्ध लाभ/(घाटा) (आपवादिक मदों के उपरान्त)	1,299.17	5,390.61	7,501.96	18,161.55	23,303.07
5.	अवधि की कुल व्यापक आय (इसमें अवधि का कर के उपरान्त शुद्ध लाभ/(घाटा) और कर के उपरान्त अन्य व्यापक आय सम्मिलित है)	1,329.52	5,424.39	7,548.71	18,237.67	23,344.31
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	18,001.01	18,001.01	18,001.01	18,001.01	18,001.01
7.	आय प्रति अंश (₹10 प्रत्येक की) (सतत तथा असतत कार्य संचालन के लिए) *					
	मूल :	0.72	2.99	4.17	10.09	12.95
	घटाकर :	0.72	2.99	4.17	10.09	12.95

*तिमाही अवधि की प्रति अंश आय, वार्षिक नहीं है।
उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किये गए समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com पर भी उपलब्ध है।

परिणाम देखने के लिए स्कैन करें

बोर्ड की ओर से और उन्ही के लिए
(परीद सुनील)
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दिनांक: 20.04.2026
स्थान: नई दिल्ली

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्त्ता/जमानतदार का नाम/ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060132101920 **जगविन्द्र कुमार (ऋणी)**, श्रीमती रिंकी कुमारी (सह-ऋणी)	16 दिसम्बर 2025 ₹ 862966/- रु. आठ लाख बासठ हजार नौ सौ छियासठ मात्र 11 दिसम्बर 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित - गाटा नं. 417, गांव-अंधेल, शिव मंदिर, तहसील-सिकन्दराबाद, जिला-बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 124.5 वर्ग गज**, पूर्व : आनन्द कुमार का मकान, पश्चिम : रास्ता, उत्तर : निजी रास्ता, दक्षिण : देवेन्द्र का मकान	15 अप्रैल 2026
ऋण खाता सं.: L9001061747242840 **पवन शर्मा (ऋणी)**, श्रीमती प्रसन्ना (सह-ऋणी)	21 जनवरी 2026 ₹ 1459599/- रु. चौदह लाख उनसठ हजार पांच सौ निन्यानबे मात्र 19 जनवरी 2026	(1) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित - खसरा नं. 114 के बाहर, पंजीकृत संख्या 9747 के अनुसार, फजायलपुर परगना सिकन्दराबाद, जिला-गौत्तम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203202 **क्षेत्रफल 52.32 वर्ग गज** (2) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित - खसरा नं. 114 के बाहर, पंजीकृत संख्या 30138 के अनुसार, फजायलपुर परगना सिकन्दराबाद, जिला-गौत्तम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203202 **क्षेत्रफल 156.97 वर्ग गज**	15 अप्रैल 2026

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।
ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: उत्तर प्रदेश दिनांक: 20 अप्रैल 2026 **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**